


बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 09.09.14

संख्या-1/श्रम वि०ई० 7-7017/2014 श्र०सं० 182 / डॉ० रवीन्द्र प्रसाद, निलंबन  
मुक्त प्राचार्य को अगले आदेश तक प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आरा के पद पर  
पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
29.09.14  
(इन्दु सिंह)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 7-7017/2014 श्र०सं० 182 /

पटना, दिनांक- 09.09.14

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी  
अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/अवर सचिव, वित्त  
(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय  
मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक  
(प्रशिक्षण)/सभी सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/परीक्षा  
नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला औद्योगिक प्रशिक्षण  
संस्थान सहित)/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा  
पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
29.09.14  
सरकार के उप सचिव।

  
29/9/14